International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.00
IJSSER 2023; 5(1): 01-02
www.socialsciencejournals.net
Received: 05-11-2022
Accepted: 07-12-2022

डॉ० साधना पांडेय
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, वीमेंस कॉलेज, समस्तीपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० साधना पांडेय
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, वीमेंस कॉलेज, समस्तीपुर, बिहार, भारत

बालश्रम एक सामाजिक अपराध है।

डॉ० साधना पांडेय

DOI: https://doi.org/10.33545/26649845.2023.v5.i1a.45

सारांश
किसी भी क्षेत्र में बच्चों के द्वारा अपनने बचपन में दी गई सेवा को बाल श्रम कहते हैं।
बाल मजदूर इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है तथा जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है तथा जो देश के वृद्धी और विकास में बांधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। अपने देश के समक्ष बालश्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने रस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाये है। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए एक सामाजिक–आर्थिक समस्या मानी जा रही है चेतना की कमी गरीबी और निरक्षरता को देखते हुए एक सामाजिक–आर्थिक समस्या मानी जा रही हैं चेतना की कमी गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गो द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। बालश्रम को अपने गाँव–घर के भाषा में ये भी बोल सकते है। बाल–मजदूरी का मतलब यह होता है कि जिससे कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। हइस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारोंश्रम अधिकार और बच्चों अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमें जनरिवाद प्रवेश कर गया। बालश्रम अभी भी कुछ देशों में आम है। बालश्रम जो है वो समाज के लिए अभिशाप भी है, क्योंकि बचपन, जिंदगी का बहुत खूबसूरत सफर होता है। बचपन मे न चिंता होती है ना कोई फिक्र होती हैं एक निश्चित जीवन का भरपूर आनंद लेना ही बचपन होता है, लेकिन कुछ बच्चों के बचपन में लाचारी और गरीबी की नजर लग जाती है, जिस कारण से उन्हे श्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बालश्रम वर्तमान समय में बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप समान होता है।

कूटशब्द : बालश्रम, गरीबी, निरक्षरता, औद्योगीकरण

प्रस्तावना

1. **बच्चों के विकास मे बाधक–** बालश्रम का सबसे ज्यादा असर बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। जिस उम्र मे बच्चों को खेल–कूद कर, शिक्षा लेकर अपना विकास करना चाहिए, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करना पड़ती हैं,
2. **शिक्षा का अभाव–** गरीबी के कारण बच्चे बाल मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं और उनके जीवन में शिक्षा का अभाव बना रहता है।
3. **वर्त्त समय में समाज में अभाव–** वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में 215 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हे। 1991 की जनगणना में बाल मजदूरों के सर्वेक्षण अनुसार 11.3 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। इसके बाद 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 12.7 मिलियन हो गई थी।
4. **बालश्रम स्कूल–** सरकार द्वारा बाल मजदूरों के लिए बालश्रमिक स्कूल खुलवाना चाहिए। जो उन्हे उनके काम के बाद शिक्षा प्रदान करे।
5. **मुफ्त शिक्षा–** सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों की शिक्षा दसवीं तक मुफ्त कर देना चाहिए। ऐसे करने से गरीब बच्चे भी 10वीं पास कर सकेंगे।
6. **बालश्रमिको का शोषण–** बाल मजदूरों का उनके मालिक द्वारा ज्यादा शोषण किया जाता है। बाल मजदूरी लेकर ज्यादा काम करने के लिए राजी हो जाते हैं एवं उनके मनचाहा काम करा लिया जाता है।
7. **जीवन का खतरा–** करखाने, कोयले की खदाने, पटाखों की फेक्टरी आदि में कार्य करने से बाल श्रमिकों की जान को ज्यादा खतरा रहता है। सरकार ने इसके लिए भी कानून बनाया हैं, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों एवं खदानों में काम करवाना अपराध है। बालश्रम का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षित समाज एवं देश की बढ़ती जनसंख्या है।

बालश्रम जैसा अपराध विदेशों मे भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। बालश्रम सभी देशों के विकास में सबसे ज्यादा बाधक बनता है।

क्या है बालश्रम

बालश्रम, भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने, दुकान, रेस्तरा, होटल कोयला खदान, पटाखे के कारखाने आदि जगहों पर कार्य करवाना बालश्रम है। बाल श्रम में बच्चों से ऐसे कार्य करवाना, जिनके लिए वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार न हो। भारत के संविधान में मूल अधिकारी के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत भारत में बालश्रम प्रतिबंधित है। बालश्रम का मुख्य कारण गरीब बच्चों के माता–पिता का लालच, असंतोष होता है। लालची माता–पिता अपने एशो–आराम के लिए बच्चों से मजदूरी कराते है। जिससे बच्चें न ही स्कूल जा पाते हैं और न ही ज्ञान प्राप्त कर पाते है।

बालश्रम समाज के लिए अभिषाप

बाल मजदूरी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। यद्यपि पिछले दशक से बाल मजदूरी के विरूद्ध अवाज उठा उठा रही है और बचपन बचाओं जैसे आंदोलन अत्यंत सक्रियता से चल रहा हैं पर फिर भी समस्या इतनी छोटी और सरल नहीं जितनी यह प्रतीत होती हैं

बालश्रम समाज के लिए अभिशाप इसलिए है क्योंकि ये बच्चों को मानसिक, शारीरिक, समाजिक या नैतिक रूप से बच्चों के लिए खतरनाक और हानिकारक है, यह उनकी उपस्थिति से वंचित और समय से पहले स्कूल छोड़ने के साथ स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है।

अधिकांश चरम स्थितियों में बच्चों को गुलाम बनाना परिवारों से अलग करना और खतरनाक सामग्रियों के संपर्क में आना शामिल है। एक बच्चे 1000–1500 रूपए देकर मजदूरी करवाने से कई प्रकार की हानि होती है। इसका परिणाम यह होता हैं कि बच्चा अशिक्षित रह जाता है। देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है, इसके साथ ही बेरोजगारी और गरीबी अैर अधिक बढ़ने लगती है। अगर देश का आने वाला कल इतना बुरि होगा तो इसमें सभी का नुकसान होगा। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रूक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता हे। बालश्रम के कारण समाज बिमारी से ग्रसित रहता है। बच्चों का कारखाने में काम करना सुरक्षित नहीं होता है। गरीबी में थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालना या पूरी उम्रं बीमारी से घिरे रहने जो नाईलाज हो। इसलिए किसी भी बच्चें के लिए बालश्रम बहुत अधिक खतरनाक होता है। अगर कोई बच्चा गरीबी या मजबूरी से परिश्रम कर रहा तो उसका पाप्त वेतन नहीं दिया जाता है। और हर प्रकार से उसका शोषण किया जाता है जो बहुत ही गंभीर अपराध है। जो समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है।

निष्कर्ष

बालश्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही काम नहीं बल्कि समाज में रहनेवाले मनुष्य का भी कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा चलायेगे योजना को सफल बनाये और बालश्रम जैसे अभिशाप से समाज को मुक्त कराये। सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। बालश्रम एक बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है, इस समस्याको सभी के द्वारा जल्द–से–जल्द खत्म करने की जरूरत है। गत कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकानरों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशंसा योग्य कदम उठाए गए है। बच्चों की शिक्षा–एवं उनकी बेहतरी के लिए कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई गयी है तथा इस दिशा में सार्थक प्रयास किये गये है, तु बाल श्रम की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसमे कोई शक नहीं है कि बालश्रम की समस्या का जल्दी से जल्दी कोई हल निकलना चाहिए। यह एक गंभी समाजिक कुरीति है तथा इसे जड़ से समाप्त होना आवश्यक है। एक विकाशशील समाज के लिए बालश्रम अभिशाप है जिसको जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। परिवार/समाज और देश के लिए।

संदर्भ

1. बालश्रम पुस्तिका लेखक अनिल कुमार
2. जन सत्ता अखबार– 2012
3. अमर उजाला अखबार– 2019
4. हिन्दुस्तान अखबार–11 जुन 2017
5. www.amarujala.com
6. www.dw.com
7. Hindi.webdunia.com
8. कुमार जय 2011–12 अम्डेकर नगर जनपद के विकास खण्ड भीरी के अम्बेडकर नगर ग्रामों के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव का अध्ययन प्रबन्ध डॉ० रा०म०लो० अ०वि०वि० फेजाबाद पृ०–51
9. कुरूक्षेत्र सितम्बर 2006 पृ० सं०–27
10. प्रभात खबर अखबार– 2009 मई